



Neutral Citation No.-2026:AHC:3121

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-40814 वर्ष 2024

कन्हैया @ शिवम गौड़ आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: लक्ष्मी कांत पांडेय, रविशंकर विश्वकर्मा, विमलेंद्र कुमार उपाध्याय,

विनोद कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अरविंद कुमार कुशवाहा, शासकीय अधिवक्ता, पूजा

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री विमलेंद्र कुमार उपाध्याय और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार कुशवाहा के साथ-साथ राज्य के लिए श्री वी.के.एस. परमार, अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. आवेदक ने अपराध संख्या-161 वर्ष 2024 में भ०द०वि० की धारा 147, 504, 506, 302 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान थाना-सिगरा, जिला: वाराणसी में जमानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, बताया जाता है कि सूचनाकर्ता के भाई पर 18.06.2024 को रात लगभग 11:00 बजे 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में 16 घंटे से अधिक की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि चश्मदीद गवाह जग्गू का बयान 14.07.2024 को दर्ज किया गया है, यानी लगभग 25 दिनों की देरी के बाद, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने घटना में आवेदक और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों की पहचान की थी। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त चश्मदीद गवाह मृतक के साथ था, लेकिन उसने मृतक के परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में सूचित करने की परवाह नहीं की और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, इस प्रकार, उक्त बयान बाद में एक विचार के रूप में दिया गया है।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करने के लिए कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया गया था, जिसमें कुछ सूचनाकर्ता ने उक्त सीसीटीवी फुटेज देखा और आवेदक की पहचान हमलावरों में से एक के रूप में की है। उक्त कवायद दिखावा है क्योंकि उस व्यक्ति का खुलासा न करना जिसने उक्त सीसीटीवी फुटेज में आवेदक की पहचान की थी, झूठे निहितार्थ को दर्शाता है।

8. अधिवक्ता ने आगे कहा है कि बाद में डॉक्टर और कंपाउंडर के बयान दर्ज किए गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने घायल व्यक्ति विशाल का इलाज किया था और उनके साथ आवेदक और अन्य सह-आरोपी व्यक्ति भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने डॉक्टर को इस तथ्य के बारे में गलत जानकारी दी थी कि उक्त चोट एक सड़क दुर्घटना में लगी है। पुलिस द्वारा अच्छा काम दिखाने के लिए उक्त बयान को बाद में तैयार किया गया है।

9. अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया है कि आवेदक 20.06.2024 से जेल में बंद है, उसके खाते में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

10. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।



11. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 17.11.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आज तक किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

12. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत "जब तक दोषी साबित न हो, एक नियम के रूप में ज़मानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 (10) एस.सी.सी. 51** में दोहराया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता कोई असाधारण परिस्थिति सामने नहीं ला सका जिसके कारण आवेदक को ज़मानत देने से इनकार कर दिया जाए।

13. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि ज़मानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। आवेदक के न्याय से भागने या न्याय के पाठ्यक्रम को बाधित करने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को डराने आदि के रूप में अन्य परेशानी पैदा करने का कोई भौतिक विवरण या परिस्थितियां अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा नहीं दिखाई गई हैं।

14. उक्त दृष्टिकोण **नागेंद्र नाथ चक्रवर्ती बनाम राजा-सम्राट ए.आई.आर. 1924 कैल 476; सम्राट बनाम हचिंसन ए.आई.आर. 1931 सभी 356; के. एन. जोगलेकर बनाम सम्राट ए.आई.आर. 1931 सभी 504; संजय चंद्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 830; 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियां। (2017) 10 एस.सी.सी. 658; राजस्थान राज्य बनाम बालचंद ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 2447; और आशिम बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (2022) 1 एस.सी.सी. 695** में भी निर्धारित किया गया है।

15. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "ज़मानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और स्टार गवाह जग्गू पांडे का बयान घटना के 25 दिनों के बाद देर से दर्ज किया गया है और यहां तक कि उस व्यक्ति का नाम भी, जिसने सीसीटीवी फुटेज में आवेदक की पहचान की थी, इसका खुलासा नहीं किया गया है, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

17. आवेदक- कन्हैया @ शिवम गौड़, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

18. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 6, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)